अलग-अलग थाना क्षेत्रों में खुदकुशी के मामले, पुलिस कर रही जांच

3 युवकों ने दी जान, किसी को प्यार में मिला धोखा तो कोई था तनाव में

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9584691000

शहर में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तीन युवकों ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। पुलिस सभी मामले में जांच कर रही है।

पहला मामला परदेशीपुरा थाना इलाके का है, जहां 25 साल के फोटोग्राफर मोहित बैरवा ने फांसी लगाकर जान दे दी। मरने से पहले उसने अपनी प्रेमिका और दोस्तों को मैसेज भी किया। दोस्त तलाशते हुए घर पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिला। बाद में पता चला कि ऊपरी मंजिल पर उसने फांसी लगा ली है।

पुलिस ने बताया कि मोहित ने मरने से पहले अपनी प्रेमिका

को एक मैसेज भेजा, जिसमें लिखा था कि 'तुम खुश रहना बेटा, मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूं।' मोहित के परिवार का कहना है कि वह पिछले 13 सालों से एक युवती के साथ प्रेम संबंध में था, लेकिन हाल ही में वह एमवाय अस्पताल के एक डॉक्टर से बात करने लगी। इसको लेकर मोहित और युवती के बीच विवाद हुआ और उसने शादी से इनकार कर दिया। इससे दुःखी होकर मोहित ने बुधवार रात अपने घर के ऊपरी कमरे में फांसी लगा ली। परिजन ने बताया कि शाम से ही उसके दोस्त उसे फोन कर रहे थे, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। उसने दोस्तों को लोकेशन भेजी। दोस्त घर आए तो पता नहीं चला। रात में ऊपर जाकर देखा तो वह फंदे पर लटका था। मोहित अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और उसकी कमाई से ही परिवार चलता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दूसरी घटना भंवरकुआं इलाके की है, जहां 31 साल के हिमांशु बैरागी ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ली। पहले वह एक मोबाइल कंपनी में काम करता था, लेकिन नौकरी छूटने के बाद जोमेटो पर फूड डिलेवरी करने लगा। दो दिन से वह काम पर नहीं जा रहा था और तनाव में था। गुरुवार सुबह पड़ोसी ने उसे घर की छत पर फंदे से लटका देखा तो परिवार को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इस तरह तिलक नगर इलाके में स्कीम नंबर 140 में रहने वाले गुलशन कोचड उम्र 19 साल ने फांसी लगाकर जान दे दी। वह अपनी बुआ के घर रहता था। उसके पिता नहीं थे। बीते कुछ दिनों से वह बीमार रहता था, जिससे वह तनाव में था। संभवतः इसी कारण उसने जान दी है।

बहुचर्चित बेलेश्वर महादेव बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत मामले के आरोपी बेगुनाह

रामनवमी पर हुए हादसे में जिला कोर्ट ने दोनों आरोपियों को किया बरी, पुलिस की जांच पर उठाए सवाल

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9584691000

दो साल पहले रामनवमी के दिन हुए जिस हादसे ने शहर को हिलाकर रख दिया था और 36 लोग की जान चली गई थी, उस मामले में पुलिस द्वारा बनाए गए दोनों को आरोपियों को जिला कोर्ट ने गुरुवार को बरी कर दिया। पुलिस ने हादसे के बाद बेलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन वह कोर्ट में इन दोनों के खिलाफ कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। कोर्ट ने फैसले में पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं।

30 मार्च 2023 को पटेल नगर स्थित बेलेश्वर महादेव मंदिर पर हुए हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 18 घायल हो गए थे। ये लोग रामनवमी के अवसर पर मंदिर परिसर में हवन कर रहे थे। जिस जगह हवन कुंड बना था, उसके नीचे करीब 60 फीट गहरी बावड़ी थी जिसे वर्षों पहले स्लैब डालकर बंद कर दिया गया था। हवन के दौरान यह स्लैब टूटा और हवन कर रहे 50 से ज्यादा लोग बावड़ी में जा गिरे। इनमें से 36 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें डेढ़ वर्ष के बालक से लेकर 80 वर्षीय बुजुर्ग शामिल थे। हादसे के बाद पुलिस ने बेलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष

सेवाराम गलानी और सचिव मुरली सबनानी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। दोनों की ओर से एडवोकेट राघवेंद्रसिंह बैस पैरवी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रकरण में अभियोजन ने 35 गवाहों के बयान करवाए। इनमें से ज्यादातर पक्षद्रोही हो गए। किसी ने भी गलानी और सबनानी को बावड़ी कांड के लिए जिम्मेदार नहीं बताया। सत्र न्यायाधीश जितेंद्रसिंह कुशवाह ने प्रकरण में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

जानकारी के अनुसार मामले की मजिस्ट्रियल जांच हुई थी। इसके बाद पुलिस ने चालान पेश किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने सिर्फ ट्रस्ट के इन दोनों पदाधिकारियों को ही आरोपी बनाया, जबकि नगर निगम के जोन से संबंधित जिम्मेदारों को आरोपी ही नहीं बनाया। मामले में 33 लोगों की गवाही हुई। इसमें सामने आया कि ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव की इसमें कोई लापरवाही नहीं है।

यह था पूरा घटनाक्रम

30 मार्च 2023 को रामनवमी के दिन सपना-संगीता रोड स्थित बेलेश्वर मंदिर में माताजी के सामने हवन कराया जा रहा था। माताजी की मूर्ति जहां पर विराजमान थी, उसके ठीक सामने ही हवन किया जाना था। यहां पर स्लैब डालकर बावड़ी को बंद किया गया था। हवन कुंड की गर्मी और लोगों की भीड़ से स्लैब टूट गया और लोग बावड़ी के अंदर गिर गए। कई लोगों को सीढ़ियों और रस्सियों के सहारे बाहर निकाला गया। लेकिन, बावड़ी में पानी और कीचड़ था जिसमे फंसकर 36 लोगों की जान चली गई। सेना की मदद से 24 घंटे चले अभियान के दौरान शव निकाले जा सके थे।

बावड़ी में 10-15 फीट गंदा पानी था। यहां कीचड़ और बदबू थी। देर रात को रहवासियों ने बताया कि 23-24 लोग नहीं मिल रहे हैं। फिर सुबह 4.30 बजे तक 35 शव निकले। अंतिम शव 31 मार्च को सुबह साढ़े ग्यारह बजे निकला जो सुनील सोलंकी का था। वे वहां लोगों को बचाने में लगे थे। इसके बाद बावड़ी को सील कर दिया गया था।

कोर्ट ने विवेचना अधिकारियों और निगम अधिकारियों की लापरवाही को लेकर टिप्पणी की है। केस में पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की।

मंडीदीप से निकली 16 लाख की सिगरेट इंदौर पहुंचकर हुई गायब, प्रकरण दर्ज

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9584691000

रायसेन जिले के मंडीदीप वेयर हाउस से बेस्ट प्राइज (वालमार्ट) राऊ (इंदौर) का माल लेकर निकले ट्रक से 16 लाख की सिगरेट रास्ते में गायब हो गई। भेजने वाली कंपनी का कहना है कि सालों से हम माल भेज रहे हैं, पर कभी ऐसा नहीं हुआ है। कंपनी के अफसर ने दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। थाना राऊ पुलिस के मुताबिक फरियादी अंकित पिता नरेश तिवारी निवासी रिलायबल केरियर आईटीसी लि. मंडीदीप रायसेन की शिकायत पर आरोपी सागर बिंजवा व चिंटू के खिलाफ केस दर्ज किया है। फरियादी ने पुलिस को बताया कि मंडीदीप वेयर हाउस से इंदौर वाल मार्ट राऊ में सिगरेट, बिस्किट, आटा, नूडल इत्यादि सामान जाता रहता है। पर कभी ऐसा नहीं हुआ। इन्वाइस और बिल्टी के मुताबिक पूरा माल भेजा गया था।

वे कहते हैं कि इस मामले में पता किया तो वालमार्ट के रिसीविंग सेक्शन से गड़बड़ी सामने आई। गत 24 जून को उपरोक्त मटेरियल ट्रक ने लोड होकर बिल्टी नंबर के साथ भेजा गया था, परंतु चार ट्रक में वालमार्ट इंदौर से सिगरेट कम प्राप्त हुई। जबकि हमने पूरा माल भेजा था। जांच में पता चला कि वाल मार्ट से रिसीविंग सेक्शन में एक युवक ने हमारे ड्राइवर से बोला कि तुम हमसे 50 हजार रुपए ले लो सिगरेट बाहर उतार देना। हमारे कुल चार ट्रक में 16 लाख की सिगरेट कम बताई गई, जबकि हमारे पास पूरे माल की ओके सील साइन के साथ है। यह बात तब सामने आई जब आईटीसी कंपनी में प्रक्रिया के अनुसार उनसे माल के बदले पैसे मांगे तो उन्होंने 24 फरवरी के आसपास पैसे देने से मना कर दिया। हमारे चालकों की भूमिका भी संदिग्ध है। फिलहाल पुलिस शिकायत की आगे जांच कर रही है।

पंक्चर बनवाने की बजाय स्कूटर को बेच आया

द्वारकापुरी इलाके में युवती ने अपने परिचित युवक को स्कूटर का पंक्चर बनवाने भेजा तो आरोपी ने स्कूटर ही बेच दिया। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक धोखाधड़ी की घटना में फरियादी नेहा पाल निवासी खंडवा नाका गणेश नगर की रिपोर्ट पर आरोपी आशीष पिता बाबूलाल चौहान निवासी परिवहन नगर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी से मेरी जान-पहचान थी। जब मेरा स्कूटर पंक्चर हो गया था तो मैंने उसे पंक्चर बनवाने स्कूटर दिया था, लेकिन उसने स्कूटर नहीं लौटाया और झासा देता रहा। बाद में यह पता चला कि आरोपी ने स्कूटर को कहीं बेच दिया अथवा गिरवी रख दिया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

चाय के टोकन का कहना पड़ा भारी, ढाबे पर तोड़फोड़

इंदौर। सिमरोल थाना क्षेत्र में स्थित एक ढाबे पर चाय का टोकन लेने की बात को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने मारपीट कर तोड़फोड़ कर दी। उन्होंने कर्मचारियों को पीटा व धारदार हथियार से हमला किया। थाना सिमरोल पुलिस के मुताबिक घटना ग्राम गवालू स्थित हरिओम ढाबे पर हुई। पुलिस ने ढाबा संचालक अशोक पिता रामकिशन पंवार की शिकायत पर 4-5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मारपीट, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी की धाराओं में केस दर्ज किया है। फरियादी ने पुलिस को बताया कि मेरे ढाबे पर मेरा लड़का हरि पंवार बैठा था और मैं घर पर था। बेटे ने मुझे फोन पर बताया कि ढाबे पर कुछ लोग चाय के टोकन की बात को लेकर विवाद कर रहे हैं। मैं तत्काल ढाबे पर पहुंचा। वहां देखा कि अज्ञात 4-5 लोग मेरे ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारियों से विवाद कर गालियां दे रहे हैं। मैं समझाने लगा तो मुझे भी गालियां दीं। आरोपियों ने ढाबे के काउंटर को फोड़ दिया और कुर्सियां और गमले फेंकने लगे। एक बदमाश ने ढाबे के कर्मचारी किशन को चाकूनुमा त्रिशूल के जैसा दिखने वाली स्टील की चीज से उससे सिर में वार किया जिससे चोट लगी। आरोपियों ने डंडे से भी पीटा जिससे प्रवीण राठौर घायल हो गया।पुलिस ने केस दर्ज किया है।

पानी पुरी खाने गई किशोरी की हादसे में मौत

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9584691000

शहर से सटे खुड़ैल थाना इलाके में अपनी सहेलियों के साथ स्कूटर पर सवार होकर पानी पुरी खाने जा रही एक किशोरी की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे के बाद वह कोमा में चली गई थी। करीब आठ दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद बुधवार देर रात उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है।

खुड़ैल पुलिस के अनुसार 16

वर्षीय आशा राठौर निवासी तिल्लौर खुर्द की बुधवार देर रात एमवाय अस्पताल में मौत हो गई। आशा अपनी सहेलियों प्रियंका और शिवानी के साथ गत 27 मार्च को स्कूटी से पानीपुरी खाने गई थी, तभी एक अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे के बाद तीनों स्कूटर पर बेसुध पड़ी मिलीं। इलाज के लिए उन्हें पहले ट्रांमा सेंटर ले जाया गया, फिर आशा को एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया। उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी और हादसे के बाद से वह होश में नहीं आई।

परिजन के अनुसार परिवार के अनुसार, प्रियंका और शिवानी का इलाज अलग-अलग निजी अस्पतालों में चल रहा है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है।

इधर, एक अन्य घटना में बाणगंगा इलाके में बुधवार शाम एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसा नमकीन क्लस्टर के पास हुआ, जहां 30 वर्षीय खेमा राय गंभीर रूप से घायल हालत में पड़ा मिला। राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस में ही उसकी मौत हो गई। खेमा मजदूरी करता था और उसके परिवार में माता-पिता और एक भाई है। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है।

परिवार गया था सूरत और घर में हो गई चोरी

इंदौर। एरोड्रम थाना क्षेत्र में चोरों ने सूने घर में चोरी की वारदात की। परिवार के सूरत जाने के बाद चोरों ने ताले तोड़कर घर में रखे नकदी व आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। घटना का पता तब चला, जब माली पौधों में पानी देने पहुंचा और ताले टूटे मिले। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एरोड्रम पुलिस के मुताबिक, स्कीम नंबर 71 निवासी प्रयास जैन ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। उनके ससुराल वाले संगम नगर में रहते हैं, जहां उनके सास-ससुर, साला और साली रहते हैं। 29 मार्च को पूरा परिवार सूरत गया था। 2 अप्रैल की सुबह जब माली आशीष पौधों में पानी डालने पहुंचा तो उसने देखा कि घर के ताले टूटे हैं और कमरों में सामान बिखरा पड़ा है। माली ने तुरंत घर की मालकिन सोना को सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने अपने दामाद प्रयास जैन को जानकारी दी। प्रयास और उनके साले के दोस्त जगदीश मौके पर पहुंचे, तो देखा कि अलमारी से नकदी और गहने गायब हैं। इसके बाद परिजनों को जानकारी देकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। गुरुवार सुबह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के पिछले चार दिनों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि चोरों का सुराग मिल सके। मामले में केस दर्ज किया गया है।

IndusInd Bank

INDUSIND BANK LIMITED
1st Floor, Sangam Tower Church Road, Jaipur-302001

मांग सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 (1) को तहत
वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली , 2002 की धारा 13 (2) के तहत की जाने वाली सूचना

निम्नलिखित अनुबंध ऋणदाताओं को सूचित किया जाता है कि कृपया हस्ताक्षर के बाद लिखित (अई.सी.एल.) से उनके द्वारा उधार एवं ऋण सुविधा की चुकाने में से विफल रहे । उनके लोन अकाउंट सुविधा को लागू कानूनों के हिसाबसे के अनुसार बैंक के बुक में गैर निष्पादित संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है । हालांकि बार बैंक ने बार बार ऋणकर्ताओं को लगातार याद करने पर वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली , 2002 की धारा 13 (2) के तहत (सरफेसी एक्ट) निम्नलिखित संबंधित ऋणकर्ताओं को मांग सूचना जारी किया है जिसमें उन्हें संबंधित सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर मांग सूचना में वर्णित राशि चुकाने को कहा गया है । मांग सूचना में बताए अनुसार निम्नलिखित राशि पर ब्याज विलंबित ब्याज, शुल्क आदि के साथ भी देय विवरण के अनुसार राशि जमा करने की सूचना दी गई है । महाराज प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (सरफेसी एक्ट) के नियम 8 को अनुसार प्रकाशन के माध्यम से सामान्य जनता को सूचना दी जाती है ।

ऋणी एवं सह-ऋणी का नाम एवं पता	मांग सूचना की दिनांक एवं बकाया राशि	सुरक्षित/बंधक सम्पत्ति का विवरण
1. मेसर्स एक्सल कार सर्वाश (सह-ऋणी) श्री देवराज दुदेजा (ऋणी) 2. श्री देवराज दुदेजा पुत्र श्री प्रीतमलाल दुदेजा (सह-ऋणी) 3. श्रीमती शशि दुदेजा पत्नी श्री देवराज दुदेजा (सह-ऋणी)	मांग सूचना की दिनांक 28.02.2025 रू. 45,14,018/- (सत्रह लाख पैंतालीस हजार चौदह हजार अठारह और मात्र पैसे)दिनांक 12.02.2025 एवं 21.02.25 तक एवं भविष्य के ब्याज एवं खर्चे अतिरिक्त एल.पी.डी. की दिनांक 05.02.2025 Loan Account Number ILI00948N 700000015119	सम्पत्ति की सभी अंश व अंगवर्धित होते हैं जिसमें प्लैट नं. 101,प्रथम तल " मानस एन्क्लेव " प्लाट नंबर 2 के पूर्वी भाग (भाग ए) जो तुकोंगंज कॉलोनी, माणिक बाग रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश पर स्थित जिसका क्षेत्रफल 1992 वर्गफीट है। सीमाएं:- पूर्व: गलियारा पश्चिम: प्लॉट नं. 102 उत्तर: प्लॉट नंबर 104 दक्षिण: रोड

ऋणी एवं जमानतदारों को सूचित (Notice) किया जाता है । कि इस नोटिस के छपने की तारीख के 30 दिनों के अंदर, वे उपरोक्त राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं खर्चों का भुगतान कर देवें अन्यथा उक्त वर्णित संपत्ति की नीलामी कर दी जावेगी तथा उसके बाद ऋण एवं ब्याज की वसूली खर्चे सहित ऋणी एवं जमानतदार से की जावेगी ।

आज्ञा से
प्राधिकृत अधिकारी
एलआईसी हाऊसिंग फायनेंस लि.
दिनांक : 04.04.2025
स्थान : इंदौर

LIC HFL LIC HOUSING FINANCE LTD

एलआईसी हाऊसिंग फायनेंस लि.
एरिया ऑफिस : द्वितीय तल गजानन भवन, ईसी-63, स्कीम नं. 91 पार्ट-सी बॉल एवेन्स लिमिटेड के सामने विजय नगर इंदौर फोन -0731-2553881, Website: www.lichousing.com

परिशिष्ट-IV नियम 8(1) आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

अधोहस्ताक्षरकर्ता एलआईसी हाऊसिंग फायनेंस लि. का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित ऋणधारियों को ब्याज राशि सहित नोटिस प्राप्ति के दिनांक से 60 दिन की समयावधि में भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था। ऋणोंग्रहिता राशि का भुगतान करने में असफल रहा है अतः ऋण ग्राहिता और सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम (8) के साथ पढ़ा जाये एतद्दिनांक वर्णित संपत्ति का अधिपत्य को ग्रहण कर लिया गया है। ऋणगृहिता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद् द्वारा निम्नवर्णित संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज के लिये निम्न खाते के सामने अंकित एलआईसी हाऊसिंग फायनेंस लि. प्रभार के अधीन होगा।

क्र.	ऋण खाता संख्या	खातेदार का नाम एवं पता	संपत्ति विवरण	मांग सूचना तिथि / कब्जा सूचना	उल्लेखित राशि ₹ मांग सूचना पत्र
1.	121400000602	श्री नागेन्द्र सिंह ठाकुर एवं सुश्री सरोज सिंह मकान नं. सी-71, पुमार्थ मीडोज, ग्राम सुल्लाखेड़ी, तहसील सांवेर, इंदौर मध्य प्रदेश -453771	मकान संख्या सी-24, पुमर्थ मीडोज, ग्राम सुल्लाखेड़ी, तहसील सांवेर, इंदौर	18.12.2024 29.03.2025	31,51,241.94 + ब्याज व अन्य खर्चे

LIC HFL LIC HOUSING FINANCE LTD

एलआईसी हाऊसिंग फायनेंस लि.
एरिया ऑफिस : द्वितीय तल गजानन भवन, ईसी-63, स्कीम नं. 91 पार्ट-सी बॉल एवेन्स लिमिटेड के सामने विजय नगर इंदौर फोन -0731-2553881, Website: www.lichousing.com

मांग सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 की प्रवर्तन की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग नोटिस) (1) क्रमांक (2) गृह ऋण खाता क्रमांक (3) ऋणी का नाम व पता (4) सम्पत्ति का पता (5) स्वीकृत ऋण राशि एवं दिनांक (6) बकाया राशि क्र .

क्र.	गृह ऋण खाता क्र	ऋणी का नाम व पता	सम्पत्ति का पता	स्वीकृत ऋण दिनांक / स्वीकृत राशि ₹	बकाया राशि ₹
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	121400000057	श्री अरविंद जैन सुशी, सोनू जैन पता – म.नं. 102, महावीर कृपा एवेन्यू, एयरपोर्ट रोड इंदौर, म.प्र –452010	म्यूनिसिपल हाउस नं. 4 का दक्षिणी भाग, पीर गली, इंदौर, म.प्र –452010	28/09/2018 23,50,000/-	2,900,453.38 + ब्याज व अन्य खर्चे
2.	121400000050 121400000051	श्री अरविंद जैन सुशी, सोनू जैन पता – म.नं. 102, महावीर कृपा एवेन्यू, एयरपोर्ट रोड इंदौर, म.प्र –452010	पता – म.नं. 102, महावीर कृपा एवेन्यू, एयरपोर्ट रोड इंदौर, म.प्र –452010	28/09/2018 28,50,000/- 28/09/2018 50,00,000/-	3,278,349.83 6,173,169.34 + ब्याज व अन्य खर्चे

आपके अनुरोध पर हमने आपको गृह ऋण वित्त राशि के रूप में इकरार नामे की शर्तों के अनुसार स्वीकृत की थी । जिनको आपने स्वीकार किया था । (1) स्वीकृत ऋण राशि स्वीकृति दिनांक एवं आपके खाता संख्या का ब्यौरा ऊपर दिया गया है । (2) आपको विदित है कि आपको प्रदत्त ऋण राशि उपरोक्त (कालम न. 5) आस्ति प्रतिभूति अनुबंध (रक्षित आस्ति) से रक्षित है। इसके लिए आपने आवश्यक दस्तावेज निष्पादन करके प्रतिभूति के रूप में सम्बन्धकर किया है । (3) हम आपको यह भी सूचित करते है कि संपूर्ण ऋण अदा करने हेतु बार – बार मांग नोटिस भेजे गए और मौखिक रूप से अनुरोध किए जाने के पश्चात भी अभी तक आपने ऋण अदा नहीं किया है । इस तरह आपने ऋण की अदायगी में गंभीर अनियमितता बरती है । (4) आप दिनांक तक आपको उपरोक्त राशि देय है (कालम न. 6) । (5) ऊपर लिखे कारणों से हम एतद द्वारा आपको सूचित करते हैं कि इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिन के अंदर आप समस्त देय राशियों की भुगतान करें , न करने की स्थिति में हम सिक्योरिटाइजेशन एण्ड की धारा 13 (4) की शक्तियों का उपयोग करेंगे । (6) उपरोक्त शक्तियों के अधीन कार्यवाही करने पर प्राप्त धनराशि अपव्यय समस्त व्यय व खर्च हेतु उपयोग की जावेगी । जो हमारी राय में उचित प्रकार से किए गए है या संबंधित हो एवं इसके पश्चात हमारे शेष जैसा कि उपरोक्त अंकित है में दिनांक **30.04.2025** से वसूली की तारीख की संविदा गत हित के निस्तारण में प्रयोग की जावेगी एवं शेष धनराशि (यदि कोई हो) आपको भुगतान किया जायेगा । (7) एक्ट की धारा 13 (13) के अन्तर्गत आगाह करे कि इस नोटिस की प्राप्त के पश्चात आप इस नोटिस के दर्शायी गई किसी भी रक्षित आस्ति का अन्तरण , बिक्री पट्टे के द्वारा रक्षित ऋण दाता की लिखित पूर्व सहमति के बिना नहीं कर सकेंगे । (8) एक्ट की धारा 13 (10) के अन्तर्गत हम आपको यह भी सूचित करते है कि यदि रक्षित आस्तियों बिक्री से प्राप्त हमारे ऋण की भरपाई नहीं होती है तो हम आपके विरुद्ध ऋण वसूली अधिकरण (DRT) में जाकर शेष धन राशि की वसूली के लिए कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रखते है। यह मांग नोटिस दो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा रहा है ।

आज्ञा से
प्राधिकृत अधिकारी
एलआईसी हाऊसिंग फायनेंस लि.
दिनांक : **04.04.2025**
स्थान : इंदौर

ICICI Home Finance

आईसीआई होम फायनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एडमिनी सेंटर, आई आई पी - दूसरी रोड, सेक्टर-5, वाशी (पूर्व), मुंबई - 400059, भारत

शाखा कार्यालय: प्रथम तल, 116, गोकुल सेंट्रल, महावीर मंडी, इंदौर - 452001

[नियम 8(6) का परंतुक देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित।

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी(ओं) तथा गारंटर(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका कब्जा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को रु.जहां है, जैसे हैं, रु.जो है तथा रु.जो कुछ भी है के आधार पर बेचा जाएगा, जैसा कि नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण में बताया गया है। इसके अंतर्गत:

स. क्र.	उधारकर्ता/सह उधारकर्ता/ गारंटर/बंधकृत संपत्तिदाता का नाम/ ऋण खाता संख्या।	ज्ञात ऋणभारों के साथ सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) का विवरण, यदि कोई हो	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / धरोहर जमा राशि	संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय	नीलामी की तिथि एवं समय	नीलामी तिथि से एक दिन पहले	सर्फेसी रूल
(A)	(B)	(D)	(C)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
1.	नवीन केनी (उधारकर्ता) निधि केनी (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या LHZMG00001396168/ LHZMG00001396169	सर्वे क्रमांक 378/21/मिन-2 के अंतर्गत प्लॉट क्रमांक 6 का उत्तरी भाग वहसीन और जिला इंदौर, मध्य प्रदेश के पंचायतगत गांव में स्थित है।	Rs. 10,64,119/- March 29, 2025	Rs. 20,47,500/- Rs. 2,04,750/-	मई 02, 2025 11:00 AM से 03:00 PM	मई 09, 2025 02:00 PM से 03:00 PM	मई 08, 2025 को 05:00 PM बजे से पहले	भौतिक कब्जा

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी वेण्टूज़र टैक्नोलज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (URL Link-https://BidDeal.in) पर आयोजित की जाएगी। संपत्तिदाता(ओं)/गिरवीदार को 08 मई, 2025 की शाम 05.00 बजे से पहले अपने के बकाया के शामिल कुल बकाया राशि का भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है अन्यथा इस भूगतान परिसंपत्तियों को उपरोक्त अनुसूची के अनुसार बेचा जाएगा। संभावित बोलीदाता(ओं) को 08 मई, 2025 को शाम 04:00 बजे से पहले लेख के शीर्ष पर उल्लिखित ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय के पते पर बयाना राशि (जमा) (EMD/RTGS/ Demand Draft DD) (कॉलम E देखें) जमा करना होगा। संपत्ति बोलीदाता(ओं) को 08 मई, 2025 को शाम 05.00 बजे से पहले लेख के शीर्ष पर उल्लिखित आईसीआईसीआई फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय के पते पर पंजीकरण फॉर्म और बोली नियम और शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति भी जमा करनी होगी। बयाना जमा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से "आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड - नीलामी" के पक्ष में होना चाहिए, जो लेख के शीर्ष पर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर देय हो।

निरीक्षण, नीलामी के नियम और शर्तों या निविदाओं के प्रस्तुतीकरण के संबंध में किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए, कृपया आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 9920607300 पर संपर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई और कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://www.icicihfc.com पर जाएँ।

दिनांक : 04.04.2025
स्थान : इंदौर
अधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फायनेंस कंपनी लिमिटेड
CIN Number: U65922MH1999PLC120106